राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 563/2013/उदयपुर

मैसर्स शुभम सेनेट्री एण्ड टाईल्स स्टोर, सूरजपोल,
उदयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

(i) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट--तृतीय, वृत्त--बी, उदयपुर ।
(ii)उपायुक्त (प्रशासन), उदयपुर। .....प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री लोकेश बाबेल,
अभिभाषक । .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक । .....प्रत्यर्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक :19.03.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी ने यह अपील उपायुक्त, (प्रशासन) वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे "सक्षम अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.12.2012 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) के तहत् प्रस्तुत की है, **जो प्रकरण कमांक 64/2012–13/कर/उपा(प्र)उदय** के संबंध में हैं तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा--34 के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र को "सक्षम अधिकारी" द्वारा अस्वीकार करने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या–1 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय, वृत्त–जी, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 24(4) के तहत अपीलार्थी व्यवहारी का निर्धारण वर्ष 2008–09 का एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश दिनाक 31.01.2011, पारित कर, मांग राशि ₹2,76,781/– सृजित की गयी थी, के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 34 के तहत् आवेदन पत्र प्रत्यर्थी संख्या–2 "सक्षम अधिकारी" के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसकी "सक्षम अधिकारी" द्वारा सुनवायी कर, आदेश दिनांक 28.12.2012 के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। जिसे इस अपील के द्वारा चुनौती दी गयी है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. इस संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी दिनांक 25.01.2011 को बीमार होने के कारण उपस्थित नहीं हो पाये थे । अपने उक्त कथन के समर्थन में चिक्तिसा अधिकारी, राजकीय आर्युवेदिक औषधालय, उदयपुर के संबंधित चिकित्सक द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को आराम के संबंध में जारी चिकित्सकीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर, **न्याय हित में सुनवायी का अवसर प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गयी** ताकि इस संबंध में सुनवायी की जाकर, विधिसम्मत एवम् सही निर्धारण आदेश पारित किये जा सके। तद्नुसार, सक्षम अधिकारी के आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना कर, प्रकरण को निर्धारण अधिकारी

लगातार.....2

को प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया गया ।

5. विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधि के निर्धारण हेतु विधिक रूप से अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत **नोटिस जारी किया गया था।** कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी न तो नियत दिनांक को उपस्थित ही हुआ एवम् न ही स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । अतः इससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी को पूर्व में सुनवायी के मौके दिये जाने के बावजूद, अपीलार्थी व्यवहारी ने निर्धारण कार्य में सहयोग नहीं किया है। जिसके संबंध में अधिनियम की धारा–34 के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को उक्त तथ्यात्मक स्थिति के मद्देनज़र ही "सक्षम अधिकारी" द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है जो कि पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है । अतः न्याय हित में एक और मौका प्रदान करने का कोई विधिक औचित्य नहीं है । अतः प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। जहां तक वक्त निर्धारण उपस्थित नहीं होने का प्रश्न है विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिये गये तर्क एवम् **अपीलार्थी व्यवहारी की बीमारी के संबंध में दस्तावेजों जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्रावली के पृष्ठ कमांक 16 से 19 पर उपलब्ध हैं** के अवलोकन से पूर्णतः स्पष्ट है कि बीमार होने के कारण अपीलार्थी व्यवहारी वक्त निर्धारण उपस्थित नहीं हो पाया था । उक्त बीमारी के संबंध में चिक्तिसीय प्रमाण पत्र का अवलोकन करने पर अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा दिये गये तर्क कि अपीलार्थी व्यवहारी बीमार होने के कारण सक्षम अधिकारी के समक्ष नियत तिथि को उपस्थित नहीं हो पाया था विधिसम्मत एवम् उचित प्रतीत होता है। अतः, उक्त तथ्यात्मक स्थिति व प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के दृष्टिगत प्रकरण **प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित निर्धारण आदेश दिनांक 31.01.2011 एवम् "सक्षम अधिकारी" द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.12.2012 अपास्त किया करते हुये** प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर, निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर, आलोच्य अवधि का निर्धारण आदेश नियमानुसार पारित करना सुनिश्चित करें । अपीलार्थी व्यवहारी से यह अपेक्षित है कि आलोच्य अवधि से संबंधित समस्त दस्तावेज प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी के समक्ष वक्त निर्धारण प्रस्तुत करें। अपीलार्थी व्यवहारी के अनुपस्थित रहने की दशा में, प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी एकपक्षीय कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र रहेंगे ।

लगातार.....3

दशा में, प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी एकपक्षीय कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र रहेंगे ।

7. परिणामतः, प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर, उपर्युक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

8. निर्णय सुनाया गया ।

19.3.2014
(मदन लाल)
सदस्य